Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **श्रीगंगानगर में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) के कनिष्ठ अभियन्ता व वरिष्ठ सहायक को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *23 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर मुख्यालय श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) के कनिष्ठ अभियन्ता अमरजीत सिंह व वरिष्ठ सहायक बालुराम बुड़ानिया को 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा पी.एच.ई.डी. वृत्त–घड़साना के अन्तर्गत जन योजनाओं में किये गये कार्यों के बिलों के भुगतान की एवज में कनिष्ठ अभियन्ता अमरजीत सिंह व वरिष्ठ सहायक बालुराम बुड़ानिया द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की श्रीगंगानगर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री वेदप्रकाश लखोटिया** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये बालुराम बुड़ानिया पुत्र श्री मनीराम निवासी मसीतावाली, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. वृत्त–घड़साना श्रीगंगानगर को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अमरजीत सिंह पुत्र श्री करणवीर सिंह निवासी वार्ड नं. 11, रावला, जिला श्रीगंगानगर हाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. वृत्त–घड़साना श्रीगंगानगर को भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।